अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–218 / 2025.

हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–417 / 2021

1. धर्मेन्द्र कुमार ..... आवेदक।

Web Copy not Official

बनाम

(1) बिहार सरकार .....

(2) दीपक कुमार ..... विपक्षीगण।

आदेश

08.06.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.08.2025 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 मे तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर, द्वारा आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दाखिल उन्मोचन आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से उन्मोचित किया गया किंतु आगामी तिथि अन्य अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 406 / 420 के अंतर्गत अपराध के आरोप गठन हेतु नियत किया गया। उभय पक्ष उपस्थित है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से इससे पूर्व प्रस्तुत वाद के संदर्भ मे कोई रिविजन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। संक्षेप मे प्राथमिकी इस प्रकार है कि सूचक के दुकान से आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने खरीदारी की इनमे से 13,42,995 / – रूपया का भुगतान आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने नहीं किया और इस एवज मे दो चेक दिया जो बैंक मे बाउस हो गया। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता निर्दोष हैं। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है प्रस्तुत मुकदमा ही

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–218 / 2025.

Web Copy Not Official

झुठा है। सूचक के यहां से आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने कोई समान की उधार खरीदारी नही किया था, उसने जब भी समान लिया है उसका भुगतान किया है। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता जब आवेदक के साथ मिलकर व्यवसाय करना चाहा जिस दौरान आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने दो चेक सूचक को प्रदान किया था, आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने उस व्यवसाय को अन्य कारण एवं कम हिस्सेदारी के कारण समाप्त कर दिया, इनही सब कारणो से सूचक ने यह झुठा मुकदमा दाखिल किया है। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध धारा 420, 406 आकर्षित नही करता है। तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.08.2025 अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 406 / 420 के अंतर्गत अपराध के आरोप गठन हेतु नियत किया गया है जो कि पूर्णत अवैध एवं अन्याय संगत है। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता धारा 406 / 420 के आरोप से उन्मोचित होने योग्य है। आगे निवेदन किया गया कि पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 को रद्द किया जाए।

विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है और उक्त आवेदन का विरोध करते है तथा विपक्षी सं0–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने सूचक के दुकान से बराबर खरीदारी करता था इस विश्वास मे उसने सूचक के दुकान से उधार समान खरीदा जिसका 13,42,995 / – रूपया का भुगतान आवेदक पुनरीक्षणकर्ता ने नहीं किया और इस एवज मे दो चेक दिया जो बैंक मे बाउस हो गया। सूचक द्वारा आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को कानुनी नोटिस भेजा गया जिसका उसने कोई जबाब नही दिया जब सूचक ने आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को फोन किया तो वह फोन भी नही उठाया। आवेदक पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.08. 2025 मे आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को धारा 406 / 420 के आरोप से उन्मोचित नही

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–218 / 2025.

Web Copy not Official

किया गया है जो आदेश वैध एवं न्यायसंगत है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या अनुराग मिश्रा, तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर, के आदेश दिनांक 19.08.2025 मे कोई विधिक अनियमितता, असंगतता या औचित्य कमी है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस संबंध मे न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वैशाली, के यहां आवेदन अंतर्गत धारा 239 द0प्र0स0 मे मुख्य निवेदन था कि अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 420 एवं 406 का कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योकि सूचक का पुरा मामला बनावटी एवं विद्वेषपूर्ण है और सूचक द्वारा प्रस्तुत किए गये तथ्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा आवेदन पर विचार करते हुए दोनो पक्षो का तथ्य सुन करके स्पष्ट रूप से अपने आदेश मे अंकित किया गया है कि, उभय पक्षो के तर्क को सुना, अभिलेख का परिसिलन किया जिससे स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 406, 426 एवं परक्राम्य मे लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दण्डिय अपराध के विचारणार्थ आरोप समर्पित किया गया है तथा अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान से सहमत होते हुए आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत के संबंध मे धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम स्पष्टतया प्रावधान करती है कि उक्त अपराध का संज्ञान, चेक पाने वाले या धारक द्वारा संमित अनुक्रम मे किये गये लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–218 / 2025.

नहीं, यहां पर न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी ने यह निष्कर्ष अंकित नही किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का कोई मामला बनता

Web Copy not Official

हुआ प्रतीत नहीं होता है बल्कि उनहोने यह विधिक स्थिति स्पष्ट की है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन संज्ञान केवल परिवाद के आधार पर लिया जा सकेगा न की प्राथमिकी के आधार पर। यहां पर कोई भी विधिक असंगता या त्रुटि आदेश मे नही है और विधि के मान्य आदेश के पुर्णतः अनुकुल हैं। अन्य धाराओं भा.द.वि. की धारा 406, 420 के संबं मे अपराध के आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध होने की बात न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ने अपने आदेश मे स्पष्ट रूप से कही हैं, यहां पर इस तथ्य मे कोई भी संदेह नहीं है कि आवेदक / अभियुक्त का हस्ताक्षर किया हुआ दो चेक सुचक द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं और इस तथ्य से आवेदक अभियुक्त का भी कोई इंकार नहीं हैं। यहां पर आवेदक अभियुक्त का यह बचाव है कि उसने यह ब्लैन्क चेक केवल प्रतिभुति के उद्देश्य से दिया था, आवेदक / अभियुक्त के इस बचाव मे कोई विधिक बल नहीं हैं और यह तथ्य विचारण का प्रश्न है, अतः विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वैशाली के आदेश दिनांक 19.08.2025 के आदेश मे कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता या औचित्य की कमी नहीं हैं और उनके आदेश मे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं, अतः प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–218 / 2025.

Date of Judgment/Order	08-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	08-06-2026
Uploading Date	17-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official